

# पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962



(1962 का अधिनियम संख्यांक 50)

[7 दिसम्बर, 1962]

**1[पेट्रोलियम और खनिज के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने]  
और उससे सम्बद्ध विषयों के लिए भूमि में के उपयोग  
के अधिकार के अर्जन के लिए  
अधिनियम**

भारत गणराज्य के तेरहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना—**(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 2[पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन] (भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर\* सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) प्रथमतः यह सम्पूर्ण पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों और दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र को लागू होगा और केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि यह अधिनियम ऐसे अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को ऐसी तारीख<sup>3</sup> से लागू होगा जैसी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए और तदुपरान्त इस अधिनियम के उपबन्ध उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को तदनुसार लागू होंगे।

**2. परिभाषाएं—**इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “सक्षम प्राधिकारी” से ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो <sup>4</sup> और विभिन्न व्यक्तियों या प्राधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का, उसी क्षेत्र में या अधिसूचना में विनिर्दिष्ट विभिन्न क्षेत्रों में, पालन करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा;

(ख) “निगम” से ऐसा निगमित निकाय अभिप्रेत है, जिसे किसी केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया है, और उसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं—

(i) ऐसी कम्पनी, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत है, और

(ii) ऐसी कम्पनी, जो कंपनियों से सम्बन्धित ऐसी किसी विधि के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत है जो पहले भारत के किसी भाग में प्रवृत्त थी;

<sup>4</sup>[(खक) “खनिज” का वही अर्थ है जो उसका, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) में है और उसके अंतर्गत खनिज तेल तथा संचित रेत भी है किन्तु इसके अन्तर्गत पेट्रोलियम नहीं है;]

(ग) “पेट्रोलियम” का वही अर्थ है जो पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) में है और इसमें प्राकृतिक गैस और परिष्करणी गैस भी आती हैं;

(घ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

**3. अर्जन के लिए अधिसूचना का प्रकाशन—**(1) जब कभी केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में आवश्यक है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को पेट्रोलियम <sup>5</sup>[या किसी खनिज] के परिवहन के लिए उस सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या निगम द्वारा पाइपलाइन बिछाई जाए और ऐसी पाइपलाइन बिछाने के लिए यह आवश्यक है कि किसी भूमि में, जिसके अंदर ऐसी

<sup>1</sup> 1977 के अधिनियम सं० 13 की धारा 2 द्वारा (3-2-1977 से) “पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 1977 के अधिनियम सं० 13 की धारा 3 द्वारा (3-2-1977 से) “पेट्रोलियम पाइपलाइन” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

\* इस अधिनियम को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में अधिसूचना सं० सा. का. 3912(अ), तारीख, 30 अक्टूबर, 2019 से लागू किया गया।

<sup>3</sup> यह अधिनियम 12-6-1963 से असम, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर और राजस्थान में, देखिए अधिसूचना सं० का०नि० 1689, तारीख 12-6-1963, भारत का राजपत्र, भाग 2 खंड 3(ii), पृ० 1945; 16-8-1963 से पंजाब राज्य में, देखिए अधिसूचना सं० का०नि० 2387, तारीख 16-8-1963, भारत का राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3(ii), पृ० 2799; 15-3-1964 से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मद्रास राज्य में, देखिए अधिसूचना सं० का०नि० 987, तारीख 10-3-1964, भारत का राजपत्र, भाग 2, खंड 3(ii), पृ० 1214, प्रवृत्त हुआ।

<sup>4</sup> 1977 के अधिनियम सं० 13 की धारा 4 द्वारा (3-2-1977 से) अंतःस्थापित।

<sup>5</sup> 1977 के अधिनियम सं० 13 की धारा 5 द्वारा (3-2-1977 से) अंतःस्थापित।

पाइपलाइन बिछाई जाए, उपयोग के अधिकार का अर्जन किए जाए, तब वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन का अपना आशय घोषित कर सकेगी।



(2) उपधारा (1) के अधीन हर अधिसूचना में भूमि का संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी अधिसूचना का सार ऐसे स्थानों पर और ऐसी रीति से प्रकाशित करवाएगा जैसी विहित की जाए।

**4. प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने आदि की शक्ति**—धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन किसी अधिसूचना के निकाले जाने पर ऐसे किसी व्यक्ति के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार या निगम द्वारा, जिसकी प्रस्थापना है कि पेट्रोलियम [या किसी खनिज] के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाई जाए, प्राधिकृत है और उसके सेवकों और कर्मचारों के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वे—

(क) अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी भूमि में प्रवेश करें और उसका सर्वेक्षण और तलमापन करें,

(ख) अधोभूमि को खोदें या उसमें बोर करें,

(ग) संकर्म का आशयित रेखांकन करें,

(घ) चिह्न लगाकर तथा खाइयां खोदकर, ऐसे तलों, सीमाओं और रूपरेखा को चिह्नित करें,

(ङ) जहां कि अन्यथा सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता है और तलमापन नहीं किया जा सकता और सीमाएं और पंक्ति चिह्नित नहीं की जा सकती, वहां खड़ी फसल, बाड़ या जंगल के किसी भाग को काटें और उसकी सफाई करें, और

(च) यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या भूमि के अन्दर पाइपलाइनें बिछाई जा सकती हैं, अन्य सभी आवश्यक कार्य करें :

परन्तु इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का कोई सेवक या कर्मकार ऐसी भूमि का यथासंभव कम से कम नुकसान या क्षति कारित करेगा।

**5. आक्षेपों की सुनवाई**—(1) भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति भूमि के अन्दर पाइपलाइन बिछाने पर आक्षेप धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख से इक्कीस दिन के अन्दर कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन हर आक्षेप लिखित रूप में समक्ष प्राधिकारी से किया जाएगा और इसमें उसके आधार दिए जाएंगे और समक्ष प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को उसकी व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई किए जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, जैसी वह प्राधिकारी आवश्यक समझता है, करने के पश्चात् वह आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को मंजूर कर सकेगा या उन्हें नामंजूर कर सकेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

**6. उपयोग के अधिकार के अर्जन की घोषणा**—<sup>2</sup>[(1) जहां कि धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के अन्दर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई आक्षेप नहीं किए गए हैं या सक्षम प्राधिकारी ने उस धारा की उपधारा (2) के अधीन आक्षेप नामंजूर कर दिए हैं, वहां वह प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र केन्द्रीय सरकार को धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में वर्णित भूमि के बारे में रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों के बारे में विभिन्न रिपोर्टें उस सरकार के विनिश्चय के लिए देगा। इन रिपोर्टों में आक्षेपों पर उसकी सिफारिशों के साथ उन कार्यवाहियों का अभिलेख भी होगा, जो उसने की थी और ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसी भूमि पेट्रोलियम या किसी खनिज के परिवहन के लिए कोई पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित करेगी कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए और धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में वर्णित भूमि के विभिन्न टुकड़ों के बारे में समय-समय पर विभिन्न घोषणाएं की जा सकेंगी, भले ही इस धारा के अधीन सक्षम प्राधिकारी ने एक रिपोर्ट या विभिन्न रिपोर्टें दी हों।]

(2) उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन पर <sup>3</sup>[उसमें विनिर्दिष्ट भूमि में के] उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगा।

(3) जहां कि किसी भूमि के बारे में धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निकाल दी जाती है, <sup>3</sup>[किन्तु इस धारा के अधीन प्रकाशित उस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के किसी टुकड़े के बारे में कोई घोषणा उस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के अंदर प्रकाशित नहीं की गई है], वहां वह अधिसूचना उस कालावधि के अवसान पर प्रभावहीन हो जाएगी।

<sup>1</sup> 1977 के अधिनियम सं० 13 की धारा 6 द्वारा (3-2-1977 से) अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 1977 के अधिनियम सं० 13 की धारा 7 द्वारा (3-2-1977 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1977 के अधिनियम सं० 13 की धारा 7 द्वारा (3-2-1977 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>1</sup>[(3क) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई और पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ के पश्चात् प्रकाशित अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली किसी भूमि के बारे में कोई घोषणा ऐसे प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं की जाएगी।]

(4) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझती है, लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में के उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय घोषणा के प्रकाशन की तारीख को या ऐसी अन्य किसी तारीख को, जो निदेश में विनिर्दिष्ट हो, या तो राज्य सरकार में या निगम में जिसकी प्रस्थापना है कि पाइपलाइनें बिछाई जाएं, निहित होगा और तदुपरांत भूमि में का ऐसा उपयोग का अधिकार इस प्रकार अधिरोपित निबन्धनों और शर्तों पर, यथास्थिति, राज्य सरकार या निगम में सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर निहित होगा।

**7. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या निगम द्वारा पाइपलाइनों बिछाई जाना—**(1) जहां कि धारा 6 के अधीन किसी भूमि में का उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या निगम में निहित हो गया है—

(i) वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या ऐसी राज्य सरकार या निगम द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति और उसके सेवकों और कर्मचारों के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वे भूमि में प्रवेश करें और पाइपलाइनों बिछाएं या अन्य कोई कार्य करें, जो पाइपलाइनों बिछाने के लिए आवश्यक हो :

परन्तु कोई पाइपलाइनें ऐसी किसी भूमि के अन्दर नहीं बिछाई जाएंगी—

(क) जो धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख से ठीक पूर्व निवास के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाती थी,

(ख) जिस पर ऐसी कोई स्थायी संरचना बनी है, जो उक्त तारीख से ठीक पूर्व अस्तित्व में थी,

(ग) जो किसी वास गृह से अनुलग्न है, या

(घ) ऐसी किसी भूमि के अन्दर ऐसी गहराई पर नहीं बिछाई जाएगी, जो तल से एक मीटर से कम है; <sup>2</sup> \* \* \*

<sup>3</sup>[(i)क) पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए केन्द्रीय सरकार या ऐसी राज्य सरकार या निगम द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उस भूमि का उपयोग किसी खनिज के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए करे और जहां किसी भूमि उपयोग का अधिकार किसी खनिज के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए इस प्रकार निहित हो गया है, वहां ऐसे व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह पेट्रोलियम या किसी अन्य खनिज के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए ऐसी भूमि का उपयोग करे; और]

(ii) ऐसी भूमि पाइपलाइनों बिछाने और ऐसी किन्हीं पाइपलाइनों के बनाए रखने, परीक्षण, मरम्मत, बदलने या हटाने के लिए या उपरोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए या ऐसी पाइपलाइनों के उपयोग के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करने के लिए ही प्रयुक्त की जाएगी।

(2) यदि उपधारा (1) के खंड (i) के परन्तुक के पैरा (ख) या पैरा (ग) में निर्दिष्ट किसी विषय के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय उसके बारे में अंतिम होगा।

**8. निरीक्षण आदि के निमित्त भूमि में प्रवेश करने की शक्ति—**किसी पाइपलाइन के बनाए रखने, परीक्षा, मरम्मत, बदलने या हटाने के लिए या पाइपलाइनों के उपयोग के लिए आवश्यक अन्य कार्य करने के लिए या उपरोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए कोई निरीक्षण या माप करने के लिए कोई व्यक्ति, जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, उस भूमि के, जिसके अन्दर पाइपलाइन बिछाई गई है, अधिभोगी को युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात् ऐसे कर्मचारों और सहायकों सहित, जो आवश्यक हो, उसमें प्रवेश कर सकेगा :

परन्तु जहां कि ऐसे व्यक्ति का समाधान हो जाता है कि आपातस्थिति विद्यमान है, वहां ऐसी कोई सूचना देना आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि इस धारा के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का कोई कर्मकार या सहायक ऐसी भूमि को यथासंभव कम से कम नुकसान या क्षाति कारित करेगा।

**9. भूमि के उपयोग के संबंध में निर्बन्धन—**(1) जिस भूमि के बारे में धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा की गई है, उसका स्वामी या अधिभोगी ऐसी भूमि को ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयुक्त करने के लिए हकदार होगा, जिसके लिए ऐसी भूमि धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख से ठीक पूर्व प्रयुक्त होती थी :

<sup>1</sup> 1977 के अधिनियम सं० 13 की धारा 7 द्वारा (3-2-1977 से) अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 1977 के अधिनियम सं० 13 की धारा 8 द्वारा (3-2-1977 से) “और” शब्द का लोप किया गया।

<sup>3</sup> 1977 के अधिनियम सं० 13 की धारा 8 द्वारा (3-2-1977 से) अंतःस्थापित।

परन्तु धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के पश्चात् ऐसा स्वामी या अधिभोगी उस भूमि पर—

- (i) कोई भवन, या अन्य कोई संरचना नहीं बनाएगा,
- (ii) कोई तालाब, कुआं, जलाशय या बांध नहीं बनाएगा, या
- (iii) कोई वृक्षारोपण नहीं करेगा।

(2) जिस भूमि के अन्दर कोई पाइपलाइन बिछाई गई है, उसका स्वामी या अधिभोगी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या नहीं करने देगा, जिससे किसी भी रीति में पाइपलाइन को नुकसान होगा या नुकसान होना संभाव्य है।

<sup>1</sup>[(3) जहां किसी ऐसी भूमि का, जिसके बारे में धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा की गई है, स्वामी या अधिभोगी उस भूमि पर,—

- (क) कोई भवन या कोई अन्य संरचना बनाता है, या
- (ख) कोई कुआं, तालाब, जलाशय या बांध बनाता है या उसकी खुदाई करता है, या
- (ग) कोई वृक्षारोपण करता है,

वहां उस जिला न्यायाधीश का न्यायालय, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर ऐसी भूमि स्थित है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसको किए गए आवेदन पर और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, उस भवन, संरचना, जलाशय या वृक्ष को हटवा सकेगा अथवा कुएं या तालाब को भरवा सकेगा और ऐसे हटाए या भरवाए जाने का खर्चा ऐसे स्वामी या अधिभोगी से इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानो ऐसे खर्चों की वसूली का आदेश उस न्यायालय द्वारा की गई डिक्री हो।]

**10. प्रतिकर—**(1) जहां कि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 4, धारा 7 या धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में कोई नुकसान, हानि या क्षति ऐसे किसी व्यक्ति को होती है, जो उस भूमि में हितबद्ध है, जिसमें पाइपलाइन बिछाने की प्रस्थापना है या बिछाई जा रही है या बिछाई गई है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या निगम ऐसे व्यक्ति को ऐसे नुकसान, हानि या क्षति के लिए प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसकी राशि प्रथमतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी।

(2) यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन अवधारित प्रतिकर की राशि दोनों पक्षकारों में से किसी को प्रतिग्राह्य नहीं है, तो पक्षकारों में से किसी पक्षकार द्वारा उस जिला न्यायाधीश के यहां, जिसकी अधिकारिता में भूमि या उसका कोई भाग स्थित है, आवेदन करने पर प्रतिकर की राशि उस जिला न्यायाधीश द्वारा अवधारित की जाएगी।

(3) सक्षम प्राधिकारी या जिला न्यायाधीश, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रतिकर अवधारित करते समय उस नुकसान या हानि का सम्यक् ध्यान रखेगा, जो भूमि में हितबद्ध किसी व्यक्ति को—

- (i) धारा 4, धारा 7 या धारा 8 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय भूमि पर से वृक्षों या खड़ी फसलों के, यदि कोई हों, हटाए जाने के कारण हुआ है;
- (ii) ऐसे व्यक्ति की या उसके अधिभोग में की अन्य भूमियों से उस भूमि का पृथक्करण के कारण हुआ है, जिसके अन्दर पाइपलाइन बिछाई गई है;
- (iii) ऐसे व्यक्तियों की किसी अन्य स्थावर या जंगम सम्पत्ति को अथवा ऐसे व्यक्ति के उपार्जन को हुई क्षति के कारण हुआ है :

परन्तु, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन की गई अधिसूचना की तारीख के पश्चात् भूमि में बनाई गई किसी संरचना या किए गए अन्य सुधार को प्रतिकर अवधारित करने में गणना में नहीं लिया जाएगा।

(4) जहां कि किसी भूमि का उपयोग का अधिकार, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार का निगम में निहित हो गया है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या निगम किसी प्रतिकर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, जो उपधारा (1) के अधीन देय है, स्वामी और किसी अन्य व्यक्ति को, जिसका उस भूमि में का उपयोग अधिकार इस प्रकार निहित होने के कारण किसी भी रीति से प्रभावित हुआ है, प्रतिकर देगा, जो धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना की तारीख को उस भूमि के बाजार मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर होगा।

(5) उक्त तारीख को उस भूमि का जो बाजार मूल्य है, वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा और यदि उस प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार अवधारित मूल्य दोनों पक्षकारों में से किसी को प्रतिग्राह्य नहीं है, तो इसका अवधारण पक्षकारों में से किसी पक्षकार द्वारा उस जिला न्यायाधीश के यहां, जिसे उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किया गया है, आवेदन करने पर उस जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा।

(6) उपधारा (2) या उपधारा (5) के अधीन जिला न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा।

<sup>1</sup> 1977 के अधिनियम सं० 13 की धारा 9 द्वारा (3-2-1977 से) अंतःस्थापित।

**11. प्रतिकर का निक्षेप और अदायगी**—(1) धारा 10 के अधीन अवधारित प्रतिकर की रकम, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या निगम द्वारा ऐसे समय के अन्दर और ऐसी रीति से, जो विहित हो, समक्ष प्राधिकारी के यहां निक्षिप्त की जाएगी।

(2) यदि प्रतिकर की रकम उपधारा (1) के अधीन विहित समय के अन्दर निक्षिप्त नहीं की जाती, तो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या निगम उस तारीख से, जिसको प्रतिकर निक्षिप्त किया जाना था, लेकर वास्तविक निक्षेप की तारीख तक छह प्रतिशत की दर से ब्याज देने का जिम्मेदार होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर निक्षिप्त किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या निगम की ओर से उन व्यक्तियों को प्रतिकर देगा, जो उसके हकदार हैं।

(4) जहां कि उपधारा (1) के अधीन निक्षिप्त प्रतिकर की रकम में कई व्यक्ति हितबद्ध होने का दावा करते हैं, वहां सक्षम प्राधिकारी उन व्यक्तियों को, जो उसकी राय में प्रतिकर पाने के हकदार हैं और उनमें से हर व्यक्ति को देय रकम अवधारित करेगा।

(5) यदि प्रतिकर या उसके किसी भाग के प्रभाजन के बारे में या उन व्यक्तियों के बारे में, जिनको उक्त प्रतिकर या उसका कोई भाग देय है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो सक्षम प्राधिकारी विवाद को उस जिला न्यायाधीश के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगा, जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के अन्दर वह भूमि या उसका कोई भाग स्थित है और उस पर जिला न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा।

**12. सक्षम प्राधिकारी को सिविल न्यायालयों की कतिपय शक्तियां प्राप्त होंगी**—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विषयों के बारे में सक्षम प्राधिकारी को सिविल न्यायालय की वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय प्राप्त होती हैं, अर्थात्:—

- (क) किसी व्यक्ति को समन करने और उसको हाजिर कराने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने,
- (ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना अपेक्षित करने,
- (ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य लेने,
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख अध्यपेक्षित करने,
- (ङ) साक्षियों की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकालने।

**13. सद्भावपूर्वक किए गए कार्य के लिए संरक्षण**—(1) कोई भी याद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाली गई अधिसूचना के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

(2) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियम या निकाली गई किसी अधिसूचना के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात द्वारा कारित या कारित किए जाने वाले किसी नुकसान, हानि या क्षति के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी, या किसी राज्य सरकार, या निगम के विरुद्ध न होगी।

**14. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन**—इस अधिनियम में अन्यथा अभिव्यक्ततः उपबंधित के सिवाय ऐसे किसी विषय के बारे में, जिसे अवधारित करने के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सक्षम प्राधिकारी सशक्त है, किसी सिविल न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त नहीं होगी और इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाही के बारे में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा।

**15. शास्ति**—(1) जो कोई धारा 4 या धारा 7 या धारा 8 द्वारा प्राधिकृत कार्यों में से किसी कार्य के करने में किसी व्यक्ति को जानबूझकर बाधा डालेगा या धारा 4 के अधीन बनी खाई या चिह्न को जानबूझकर भर देगा, नष्ट कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा या विस्थापित करेगा या धारा 9 के अधीन प्रतिषिद्ध कोई कार्य जानबूझकर करेगा वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) जो कोई जानबूझकर धारा 7 के अधीन बिछाई गई किसी पाइपलाइन से कोई अनधिकृत संयोजन करेगा या करवाएगा या हटाएगा, नष्ट करेगा, नुकसान पहुंचाएगा या विस्थापित करेगा या ऐसी पाइपलाइन से पेट्रोलियम उत्पाद या खनिज निकालने के लिए कोई युक्ति जानबूझकर अंतःस्थापित करेगा या पाइपलाइन के माध्यम से की गई आपूर्ति को जानबूझकर विच्छिन्न करेगा, वह कठोर कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध कोई व्यक्ति उसी उपबंध के अधीन किसी अपराध का पुनःदोषसिद्ध किया जाता है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चात्पूर्ति अपराध के लिए कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

<sup>1</sup> 2012 के अधिनियम सं० 9 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से तीन वर्ष से कम के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा।

(4) जो कोई यह कारित करने के आशय से या यह जानते हुए कि उसके द्वारा धारा 7 के अधीन बिछाई गई किसी पाइपलाइन को नुकसान करने या नष्ट करने की संभावना है, अभिध्वंस करने के आशय से पेट्रोलियम उत्पाद, अपरिष्कृत तेल या गैस के परिवहन में उपयोग की जाने वाली पाइपलाइन को आग, विस्फोटक पदार्थ द्वारा या अन्यथा नुकसान कारित करेगा या इस जानकारी से कि ऐसा कार्य आसन्न रूप से उतना खतरनाक है जिससे सभी अधिसंभाव्यता में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकेगी या ऐसी शारीरिक क्षति होने की संभावना है, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकेगी, वह कठोर कारावास से, जो दस वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

**16. कतिपय अपराधों का संज्ञेय होना**—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 15 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन आने वाले किसी अपराध को उस संहिता के अर्थ में संज्ञेय और अजमानतीय समझा जाएगा।

**16क. कतिपय मामलों में सबूत का भार**—जहां धारा 15 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन किसी ऐसे अपराध के करने में प्रयुक्त किसी औजार, यान या किसी मद के साथ किसी पेट्रोलियम उत्पाद का इस युक्तियुक्त विश्वास में इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहण किया जाता है कि ऐसा पेट्रोलियम उत्पाद धारा 7 के अधीन बिछाई गई पाइपलाइन से चुराया गया है तो यह साबित करने का भार कि वे चुराई गई संपत्ति नहीं हैं, ऐसी दशा में, जहां ऐसा अभिग्रहण किसी व्यक्ति के कब्जे से किया गया है, निम्नलिखित पर होगा,—

(i) उस व्यक्ति पर जिससे संपत्ति का कब्जा अभिगृहीत किया गया था, और

(ii) उस व्यक्ति पर जो उसका स्वामी होने का दावा करता है, यदि ऐसे व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति जिसके कब्जे से चुराई गई संपत्ति अभिगृहीत की गई थी।

**16ख. संपत्ति से संबंधित उपधारणा**—जब इस अधिनियम के अधीन की गई किसी कार्यवाही या इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात के परिणामस्वरूप यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई पेट्रोलियम उत्पाद, निगम की संपत्ति है तो न्यायालय जब तक प्रतिकूल दर्शित न किया जाए तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसा पेट्रोलियम उत्पाद निगम का है।

**16ग. जमानत के संबंध में उपबंध**—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में है, तो जमानत पर या अपने निजी बंधपत्र पर तब तक उन्मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक,—

(क) लोक अभियोजक को ऐसी उन्मुक्ति के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया है; और

(ख) जहां लोक अभियोजक द्वारा आवेदन का विरोध किया जाता है वहां न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने पर निर्बधन जमानत मंजूर करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निर्बधनों के अतिरिक्त हैं।

(3) इस धारा की कोई भी बात दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 439 के अधीन जमानत से संबंधित उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियों को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

**16घ. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 का लागू न होना**—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 438 की कोई भी बात धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन दंडनीय किसी अपराध को किए जाने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी वाले किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी।

**17. नियम बनाने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के [उपबन्धों] को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी एक के बारे में उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) वे स्थान, जहां पर और वह रीति, जिसमें धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना का सार प्रकाशित किया जा सकेगा,

(ख) वह समय, जिसके अन्दर और वह रीति, जिसमें धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर की राशि निक्षिप्त की जा सकेगी।

<sup>1</sup> 1977 के अधिनियम सं० 13 की धारा 10 द्वारा (3-2-1977 से) “प्रयोजनों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>1</sup>[(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

**18. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित न होना**—इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त भूमि अर्जन से संबंधित किसी अन्य विधि के अतिरिक्त, न कि उसके अल्पीकरण में, होंगे।

---

<sup>1</sup> 1977 के अधिनियम सं० 13 की धारा 10 द्वारा (3-2-1977 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।